भारत सरकार

कार्यालय आयकर आयुक्त मुजफ्फरपुर

दिनांकः 12-10-2009

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के तहत आदेश

संस्था का नाम एवं पताः–. चिकित्सा फेडरेशन ऑफ इंडिया,

ग्राम - गन्नीपुर,

जिला - मुजफ्फरपुर (बिहार)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए 1 उपधारा बी (i) में निहित शक्तियों के तहत उपरोक्त संस्था को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के उद्देश्यों के लिए निर्धारण वर्ष 2010-11 से पंजीकृत किया जाता है । पंजीकरण निम्न शर्तों के तहत न्याय संगत होगा ।

(i) संस्था/न्यास/सोसाइटी अपनी आय को पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी, जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजन में प्रयोग किए जाने हेतु संचित की जाती है वहां उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आया कुल आय का पन्द्रह प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय–समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, से अधिक नहीं होगी तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11(2) की शर्तों का पालन करेगी ।

(ii) संस्था/न्यास/सोसाइटी अपने निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) निर्दिष्ट स्वरूप और पद्धति के अनुसार रखेगी ।

(iii) यह आदेश व्यापार से उवृभूत किसी लाभ पर लागू नहीं होगा । यह सिवाय उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि व्यापार संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए एवं उस व्यापार की लेखा बहियॉ अलग से रखी जाएं ।

Scanned by CamScanner

(iv) संस्था/न्यास/सोसाइटी आयकर अधिनियम, 1961के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी ।

(v) संस्था/न्यास/सोसाइटी अपनी आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी ।

(vi) संस्था/न्यास/सोसाइटी आयकर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) एवं (3) में विर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आया या सम्पति को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी ।

(vii) किसी सामान्य लोकोपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसरकरना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा, यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति को कोई कियाकलाप अथवा किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई कियाकलाप किया जाना अंतर्वलित है, भले ही ऐसे कियाकलाप से आया के उपयोग या उपयोजन अथवा उसके प्रतिधारण की प्रकृति कुछ भी हो ।

(viii) यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि संस्था/न्यास/सोसाइटी के कियाकलाप उसके उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है अथवा संस्था/न्यास/सोसाइटी के कियाकलाप प्रामाणिक नहीं रहे तो आयकर अधिनियम की धारा 12ए (3)के अंतर्गत उक्त पंजीकरण रद्द किया जा सकता है ।

ह0/-

पंजीकरण संख्या.....27...../2009-10

(शम्भु दत्त झा)

आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर

सं0 सं0– आ0 आ0/मुज0/तक0/12ए/09–10/3990-92 दिनांक 12-10-09

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. उप आयकर आयुक्त, अंचल– 1, मुजफ्फरपुर ।

2. अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र– 1, मुजफ्फरपुर ।

Scanned by CamScanner

3. आवेदक ।

4 अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र :1 मुजफ्फरपुर को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास का धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकरण मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 11 से 13 तक कर मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है । संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुँचना है कि संस्था/न्यास करमुक्ति के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं । उक्त दृष्टिकोण माननीय अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा भी मॉ ज्याति प्रभा सोसाईटी (आई0टी0ए02766/DEL/02) तथा विभिन्न मार्केटिंग समितियों के वाद में पारित आदेश में लिया गया है । यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो उसे करमुक्त देय नहीं होगी तथा धारा 12एए (3) के अंतर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी ।

(बी0 के0 सिन्हा)

आयकर अधिकारी(तक0)

कृतेः आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर

Scanned by CamScanner